Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding review of new rules and laws pertaining to use of fly ash -laid.

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर): देश के बहुपयोगी खनिजों का बेतहाशा खनन से मिट्टी ईंट (लाल ईट) बनानेके लिए अच्छी खेतों की उपजाऊ मिट्टी तथा इस हेतु अपूर्णीय व् बहुमूल्य उपजाऊ मिट्टीका ह्रास से राहत तथा थर्मल पोवेर जेनेरेशन वेस्ट-फ्लाईअ ॅश डिस्पोसल समस्या का समाधान-उपरोक्त उदेश्यों की पूर्ति के लिए गत वर्षो में 1999 से 2019 तक के लिये सरकार ने इस फ्लाईअ ॅश के उपयोग करने हेतु विगत 20-22 वर्षों से युक्त ब्रिक्स, ब्लॉक्स, पेवर टाइल्स बनाने के लिए कुटीर व् लघु उद्योग प्रेरित किया जिसके सुखद परिणाम भी प्राप्त हुए और उपजाऊ मिट्टी का संरक्षण भी हुआ है। लेकिन वर्ष 2021 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा 01-02-2021 को ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यमसे फ्लाईअ ॅश उपयोग के लिए नये नियम व कानून बनाने की नोटिफिकेशन जारी किए जिससे 20000 से अधिक उद्योग बंद होने की तथा इससे जुड़े हुए 6 लाख से ज्यादा परिवारों के परोक्ष-अपरोक्ष रोजगार पर इसका गहरा असर होगा| मै इस सदन के माध्यम से 2021 में मंत्रालय द्वारा किये गए नियम व कानून को तथा इस माइक्रो व् स्माल स्केल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए प्रतिनिधि मंडल से कुछ सदस्य की राय के साथ दोबारा विचारपूर्वक समुचित विचार-विमर्श, परिवर्तन हेतु कदम उठाने का अनुरोध सरकार से करती हूँ।